बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक- प्र06-रा0का0-01/11 8882 /खाद्य,पटना/दिनांक 25/10/2011

बिहार लोक सेवाओं का प्राधिकार अधिनियम 2011

प्रेषक,

के0 सी0 झा,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :- बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 के अन्तर्गत निर्गत राशन कार्ड एवं संबंधित आवेदनों के डाटाओं का संबंधित सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि कराने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम से संबंधित राशन कार्ड निर्गत करने हेतु प्राप्त आवेदनों एवं उसके आलोक में कृत कार्रवाई से संबंधित डाटाओं के संधारण का कार्य कम्प्यूराईज्ड अथवा मैनुअल किया जाना है । वैसे कार्यालय जहॉ इससे संबंधित कार्य मैनुअल किया जा रहा है वहॉ के डाटाओं को संबंधित सॉफ्टवेयन में प्रविष्टि किया जाना आवश्यक है ।

अतएव अनुरोध है कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत राशन कार्ड निर्गत करने से संबंधित आवेदनों एवं कृत कार्रवाई के संबंध में डाटाओं को संबंधित सॉफ्टवेयर में शीघ्रातिशीघ्र प्रविष्टि करायी जाय । साथ ही सभी प्रविष्ट डाटा को मिशन के सर्वर पर प्रतिदिन Synchronize एवं अपलोड कराना भी सुनिश्चित करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

25/10/11

सरकार के अपर सचिव ।